GOVERNMENT OF INDIA



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 26] No. 26

दिल्ली, जुलाई 13--जुलाई 19, 2012, बृहस्पतिवार/आषाढ़ 22--आषाढ़ 28, 1934 DELHI, JULY 13-JULY 19, 2012, THURSDAY/ASADHA 22-ASADHA 28, 1934

[रा,रा,रा,क्षे,दि, सं, 94, 96

I N.C.T.D. No. 94, 96

भाग —IV PART-IV

भाग-। में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसचनाएं Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than Notifications included in Part-I

> राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

> > कार्यालय: मण्डल आयुक्त, दिल्ली

(राज्य सैनिक बोर्ड)

अधिसूचना

दिल्ली, 27 जून, 2012

सं. एफ/15/एल/आर एस बी/2004/1282, इस प्रशासन की दिनांक 28 जनवरी 2010 की अधिसूचना संख्या, एफ-15/एल/रा. सै. बो/2004/279 के अतिक्रमण में दिल्ली के उपराज्यपाल भूतपूर्व सैनिकों के पुन:स्थापना और पुनर्वास (1982), के लिए मिश्रित विशेष निधि के संचालन के लिए निम्नलिखित प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन करते हैं।

1. उपराज्यपाल अध्यक्ष

मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रथम उपाध्यक्ष

3. जी.ओ.सी. दिल्ली क्षेत्र

द्वितीय उपाध्यक्ष

वायस एडिमरल कृष्णा रायना (सेवानिवृत्त)

स्टाफ समिति के चीफ द्वारा मनोनीत

कमाडोर एन. के. बैहल

उक्त वर्णित

2631 DG/2012

6. कर्नल बी. के. शर्मा (सेवानिवृत्त) : राज्य सरकार द्वारा मनोनीत दो व्यक्ति

निकी भू.पू. सैनिकों के कल्याण में

रुचि है।

7. विंग कमान्डर जी. एस. रियार (सेवानिवृत्त) : उक्त वर्णित

सचिव (राजस्व) एवं मंडल, आयुक्त (दिल्ली) : सहयोजित

9. महानिदेशक 'पुनर्वास' : रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

10. सचिव, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड : उक्त वर्णित

11. निदेशक, पुनर्वास पश्चिम जोन मुख्यालय पश्चिमी कमांड : रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

12. सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड : सचिव प्रबंध समिति

प्रबन्ध समिति किसी भी व्यक्ति को सदस्य/सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है, परन्तु ऐसे सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं होगा । मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो साल तक प्रभावी रहेगा ।

> उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आदेशानुसार,

विजय के. देव, प्रा. सचिव (राजस्व) एवम् मण्डल आयुक्त

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER: DELHI

(Rajya Sainik Board)

NOTIFICATION

Delhi, the 27th June, 2012

No. F. 15/L/RSB/2004/1282.—In supersession of this Administration's Notification No. F. 15/L/RSB/2004/279 dated 28th January 2010 Lt. Governor, Delhi is pleased to reconstitute the Managing Committee to administer the Amalgamated Special Fund for the Reconstruction and Rehabilitation of ex-Servicemen, 1982 as follows:—

	and resident and resident of experience	ADITUS EUROPA A LA CONTROLLA CONTROL
1.	Lt. Governor, Delhi	Chairman
2.	Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi	: 1st Vice-Chairman
3.	General Officer Commanding, Delhi Area	: 2nd Vice-Chairman
4.	Vice Admiral (Retd.) Krishna Raina	: Nominated by the Chief of Staff Committee
5.	Cmdr (Retd.) N. K. Bahl	: -do-
6.	Col (Retd.) B. K. Sharma	Persons not exceeding two in number having interest in the welfare of ex-Servicemen nominated by the State Govt.
7.	Wg Cdr (Retd.) G. S. Riar	: -do-
8.	Pr. Secretary (Revenue)-cum-Divisional Commissioner (Delhi)	: Co-opted Member
9.	Director General Resettlement	: Representatives of Ministry of

9. Director General Resettlement : Representatives of Ministry of

Defence

10. Secretary, Kendriya Sainik Board : -do-

11. Director, Resettlement West Zone
HQ Western Command

12. Secretary, Rajya Sainik Board, Delhi : Secretary to Managing Committee

The Managing Committee may co-opt any other persons as member(s) but such member(s) will have not right to vote. The tenure of the nominated member(s) will be for two years from the date of the Notification.

By Order in the Name of Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi,

VIJAY K. DEV, Pr. Secy. (Revenue)-cum-Divisional Commissioner

कार्यालय पंजीयक सहकारी समितियाँ

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

फा. सं. 6(19)82 स्था. /सह. /पार्ट फाईल / 1753-60.—दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली सहकारी समितियाँ अधिनियम 2003 (दिल्ली अधिनियम 2003 का 3) की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री ताजोम तालों, आई. ए. एस. को उक्त अधिनियम के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए सहकारी समितियाँ का पंजीयक दिनांक 21-06-2012 पूर्वाहन से नियुक्त करते हैं।

इस सरकार की अधिसूचना संख्या 6(19)82/स्था./सह./पार्ट फाईल/526-533 दिनांक 28-02-2011 को अधिक्रमित की जाती है।

> राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश एवं नाम से,

जी. एल. मीणा, विशेष पंजीयक (सहकारिता)

OFFICE OF THE REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES

NOTIFICATION

Delhi, the 17th July, 2012

No. F. 6(19)82/Estt./Coop./PF/1753-60.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Sh. Tajom Taloh, IAS (AGMU: 92) as Registrar Cooperative Societies, Delhi, for the Government of NCT of Delhi with effect from 21-06-2012 (E/N).

This Government's notification No. F. 6(19)82/Estt./Coop./526-533 dated 28-02-2011 is hereby superseded.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.

G. L. MEENA, Spl. Registrar (Coop)